



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554

NHAI/RO/NAG/UT-503/NH-753BE/Sewer/2025-26/ 1238

Date: 23.07.2025

Invitation of Public Comments

Sub.: Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report Upgradation of Taloda (km 143.000) to Burhanpur (km 383.000) section of NH-753BE- Permission for laying between km 176.990 to km 179.454 & 04 nos of crossings of Sewer Pipeline -Reg.

Ref.: 1. The PD, PIU Jalgaon's Office letter No. 929 dated 05.03.2025.
2. CO, Yawal Municipal Council, Yawal letter No 750 dated 19.03.2025.

This is to inform all concerned that vide their letter under Ref.2, that the Municipal Council, Yawal has submitted a proposal for the subjected work. Subsequently, the NHAI, PD, PIU-Jalgaon has recommended the above proposal vide his letter under Ref. 1 for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

1) The alignment / location for laying of the proposed Water Supply Pipeline the Nagar Parishad, Savda in the subject mentioned section is as follows:

- Pipeline laying between km 176.990 to km 179.454
- 04 nos of Crossing at km 177.334, km 178.517, km 178.626 & km 178.898.

2) As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall put out a NOTICE in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest etc.).

In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from the issuance of this Public Notice. Any comments received of the expiry of the above period / beyond the due date, will NOT be accepted. Please note.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
NNHA, "Narang Towers", 1st Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001, Maharashtra.
Tel: 0712-2520091; Email: ronagpur@nhai.org

[Signature]
23/7/2025

(A.S. Pimple)

General Manager (Tech.)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एन.एच.ए.आई./आर.ओ./एन.एजी./यूटी-503/एनएच-753बीई/सीवर/2025-26/ 1238

दिनांक: 23.07.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय: एनएच-753बीई के तलोदा (किमी 143.000) से बुरहानपुर (किमी 383.000) खंड के उन्नयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु गगमर्श मेवाण - किमी 176.990 से किमी 179.454 के बीच और सीवर पाइपलाइन के 04 क्रॉसिंग बिछाने की अनुमति - के संबंध में।

- संदर्भ:** 1. पीडी, पीआईयू जलगांव का कार्यालय पत्र संख्या 929 दिनांक 05.03.2025।
2. सीओ, यावल नगर परिषद, यावल पत्र संख्या 750 दिनांक 19.03.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद, यावल ने संदर्भ 2 के अंतर्गत अपने पत्र के माध्यम से उक्त कार्य हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात, एनएचएआई, पीडी, पीआईयू-जलगांव ने संदर्भ 1 के अंतर्गत अपने पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन हेतु उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

3) सावदा द्वारा प्रस्तावित जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के लिए संरक्षण/स्थान निम्नानुसार है:

- किमी 176.990 से किमी 179.454 के बीच पाइपलाइन बिछाई जा रही है
- किमी 177.334, किमी 178.517, किमी 178.626 और किमी 178.898 पर 04 क्रॉसिंग।

4) मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एमएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक अमुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित आदि के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में एक नोटिस जारी करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित हैं। इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर, आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति/निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। कृपया ध्यान दें।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

एनएनएचए, "नारंग टावर्स", प्रथम तल.

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440 001, महाराष्ट्र।

फ़ोन: 0712-2520091; ईमेल. ronagpur@nhai.org

(Handwritten Signature)
23/7/2025
(ए.एस. सिप्ते)

महाप्रबन्धक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली- एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [mansoor@nic.in]